भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India Ministry of Commerce & Industry SEEPZ Special Economic Zone Authority Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

File No. SEEPZ-SEZ/IT/5/2023-IT/COMP/03202

Date: 07.03.2025

परिपत्र संख्या/Circular No: 12

विषय: एसईजेड हितधारकों की शिकायतों के निवारण हेतु जन-सुनवाई Subject: Jan-Sunwai for redressal of Grievances of SEZ stakeholders

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 118, दिनांक 19 फरवरी 2025 के अनुसार, इस कार्यालय ने प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक 1 घंटे की अवधि के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'जन सुनवाई' आयोजित करने का निर्णय लिया है।

11 मार्च, 2025 से शुरू होने वाली यह शिकायत निवारण सुविधा हर हफ़्ते 1 घंटे के लिए लाइव और चालू रहेगी, जिससे डेवलपर्स, यूनिट धारकों, सह-डेवलपर्स और अन्य सिहत सभी हितधारकों को अपनी शिकायतें या चिंताएँ व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। इन सत्रों की अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे और संयुक्त विकास आयुक्त और निर्दिष्ट अधिकारी, सीप्ज़ एसईजेड हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करेंगे। सीप्ज़ में स्थित यूनिटधारक व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होना चाहते हैं, वे बिना किसी अपॉइंटमेंट के हर मंगलवार को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से बैठक में भाग ले सकते हैं।

बैठकें वेबएक्स के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की

In accordance with Instruction No. 118, dated 19th February 2025, issued by the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry. This office has decided to organize 'Jan Sunwai' through video conferencing every week on Tuesday from 11:00 AM to 12:00 noon for a duration of 1 hour.

Starting from 11th March, 2025 this grievance redressal facility will be live and operational for 1 hour every week, providing an opportunity for all stakeholders, including developers, unit holders, co-developers, and others, to voice their grievances or concerns. These sessions will be chaired by the Development Commissioner along with Joint Development Commissioner & Specified Officer, SEEPZ SEZ will address the issues raised by the stakeholders. The unitholders located in SEEPZ want to present personally may also attend meeting personally on every Tuesday, 11:00 AM to 12:00 noon without appointment.

The meetings will be conducted online through

जाएंगी:

• मीटिंग नंबर: 2516 707 9879

•पासवर्ड:Jansunwai@2025

वैकल्पिक रूप से, लिंक को SEEPZ SEZ वेबसाइट पर "हमसे संपर्क करें" टैब के अंतर्गत "शिकायत निवारण के लिए वी.सी. सुविधा" अनुभाग के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। यदि वी.सी. में शामिल होने के समय कोई समस्या आती है, तो संबंधित व्यक्ति निम्नलिखित संपर्क विवरणों पर संपर्क कर सकता है।

1.hanishr.g171701@gov.in,(7976067037)

2. ediseepz-mah@gov.in (022- 28294721)

WebEx:

• Meeting number: 2516 707 9879

Password: Jansunwai@2025

Alternatively, the link can be accessed through the "VC Facility for Grievance Redressal" section under the "Contact Us" tab on the SEEPZ SEZ website. If there is any issue faced at the time of joining VC, the concered may reach out on the following contact details.

1. <u>hanishr.g171701@gov.in</u>, (7976067037)

2. ediseepz-mah@gov.in (022- 28294721)

यह नोटिस विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया गया है। This notice is issued with the approval of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

(मितल हिरेमठ /Mital Hiremath) संयुक्त विकास आयुक्त/Joint Development Commissioner सीप्ज़-सेज़/SEEPZ-SEZ